www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(सूचना अनुभाग)
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञप्ति
नई दिल्ली, 26.05.2017

गैर-अनुपातिक सम्पत्ति के मामले में भारत संचार निगम लिमिटेड के तत्कालीन महाप्रबन्धक को पॉंच लाख रू. जुर्माने सहित तीन वर्ष की कठोर कारावास

सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, द्वारका कोर्ट, नई दिल्ली ने 17,34,706 रू. की गैर अनुपातिक सम्पत्ति को एकत्र करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 109 एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के साथ पठित धारा 13(1)(ई) के तहत भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.), महाराष्ट्र परिक्षेत्र के तत्कालीन महाप्रबन्धक श्री अजय कुमार टक्कर को 5,00,000 रू. जुर्माने सहित 03 वर्ष की कठोर कारावास एवं उनकी पत्नी श्रीमती सन्ध्या टक्कर को 1,00,000 रू. के जुर्माने सहित एक वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी व्यक्तियों के मुम्बई स्थित दो अचल सम्पत्ति एवं गौतम बुद्ध नगर (नोयडा), उत्तर प्रदेश की एक अचल सम्पत्ति के साथ ही बैंक ऑफ इण्डिया, मुम्बई में संचालित खाते को भी जब्त किया।

सीबीआई ने भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.), महाराष्ट्र परिक्षेत्र के तत्कालीन महाप्रबन्धक श्री अजय कुमार टक्कर के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के साथ पठित धारा 13(1)(ई) के तहत दिनांक 27.09.2004 को मामला दर्ज किया जिसमें आरोप है कि दिसम्बर, 1977 से 2004 की अवधि के दौरान, उन्होने 41,59,435 रू. की गैर अनुपातिक सम्पत्ति एकत्र की। जॉंच के दौरान, बड़े पैमाने पर चल एवं अचल सम्पत्तियों की भी पहचान की गयी।

जॉंच के पूर्ण होने के पश्चात, सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, नई दिल्ली की अदालत में आरोपी व्यक्तियों के विरूद्ध दिनांक 29.12.2007 को आरोप पत्र दायर हुआ एवं दिनांक 13.01.2012 को आरोप तय किए गए। विचारण के दौरान, मामले को सिद्ध करने के लिए 66 गवाहों की जॉंच पड़ताल की गयी।

विचारण अदालत ने आरोपी व्यक्तियों को कसूरवार पाया एवं उन्हे दोषी ठहराया।

****